राजस्थान–सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎: 0141–2704357 📠: 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

अति–आवश्यक

कमांकः–निसंशि / शैक्ष–1 / पं.4(त) 36 / पार्ट–II / 2021 / 890-925 दिनांकः– 12/01/2021

प्राचार्य
समस्त राजकीय / अराजकीय संस्कृत महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– राज्य के समस्त महाविद्यालयों में दिनांक 18 जनवरी, 2021 से शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारम्भ करने बाबत्।

प्रसंग :– शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प.33(2) गृह–9 / 2019 दिनांक 06 जनवरी 2021

राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रकिया की अनिवार्यतः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। **दिनांक 18 जनवरी 2021 से शास्त्री अंतिम वर्ष एवं आचार्य–उत्तरार्द्ध की ही कक्षाएं अध्ययन हेतु प्रारम्भ होगी।**

सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाये तथा इनका संचालन केन्द्र के दिशा–निर्देशों एवं एसओपी की तहत् किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिये जारी निम्न गाईड लाईन्स की अक्षरशः अनुपालना महाविद्यालय परिसर में सुनिश्चित की जावें।

1. महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर थर्मल स्कीनिंग एवं सेनेटाईजशन करना अनिवार्य होगा।
2. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी / अभिभावक / स्टाफ अनावश्यक रूप से एकत्रित न हों।
3. अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"No Mask No Entry"**की पालना आवश्यक है एवं पीने के लिये पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर महाविद्यालय द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।
5. अध्ययन कक्ष में सोशल डिस्टेसिंग (06 फीट की दूरी) तथा प्रत्येक मंजिल पर क्लास रूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की / दरवाजों को खुला रखा जावे, ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
6. केंटीन स्टाफ / कैंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे। विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे।
7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानक सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे–रेलिंग, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायेगी।

8. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है।
9. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावें।
10. अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी/शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के कोविड–19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड़ सेन्टर में ईलाज/ आईसोलेशन हेतु रैफर/भर्ती किया जावे।
11. महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर आने के समय सेनेटाईजर/साबून/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे।
12. महाविद्यालय में प्रतिदिन काम आनें वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरण को सेनेटाईज किया जावे।
13. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड कारित किया जावें।
14. सभी फैकल्टी मैम्बर्स एवं विद्यार्थी ऐसी किसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन व पानी से हाथ धोऐं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें।
15. महाविद्यालय अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेगें।
16. श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी नियमों की शक्ति से पालना की जावे, जिसके अन्तर्गत खांसते–छींकते समय अपने मुंह व नाक को टिश्यू/रूमाल से ढकना न भूलें।
17. अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखते हुये किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त रिपोर्ट करना।

कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिये अनिवार्य है कि समस्त महाविद्यालयों में स्टाफ/विद्यार्थी इन दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

12/1/2021

(डॉ. दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांकः–निसंशि/शैक्ष–1/पं.4(त) 36/पार्ट–II/2021/890-925 दिनांकः– 12/01/2021

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वेब साईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर